

27.05.2024

पत्रावली आज पेश हुई। निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र क्रमांक 2608 दिनांक 30.04.2024 के द्वारा इस न्यायालय के राजस्व अपील संख्या 03/2011 निर्णय दिनांक 21.07.2011 की पत्रावली एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा उनके प्रकरण संख्या निगरानी/एलआर/640/2012/सिरोही में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2024 की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा उनके प्रकरण संख्या निगरानी/एलआर/640/2012/सिरोही में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2024 के अनुसार इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 03/2011 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2011 को निरस्त कर पैरा संख्या 6 में किए गए विवेचन/विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए व प्रार्थी अपीलार्थी के वादग्रस्त भूमि के आवंटन/नियमन के प्रार्थना पत्र पर विधि में स्थापित नियमन प्रक्रिया के तहत यथोचित कार्यवाही के प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा उनके प्रकरण संख्या निगरानी/एलआर/640/2012/सिरोही में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2024 के द्वारा जिला कलक्टर न्यायालय सिरोही के राजस्व अपील संख्या 03/2011 निर्णय दिनांक 21.07.2011 को निरस्त किया गया है एवं जिला कलक्टर सिरोही द्वारा दिनांक 31.01.2008 को खारिज किए गए प्रार्थी अपीलार्थी के आवंटन प्रार्थना पत्र पर पुनः विचार करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है।

चूंकि आवंटन/नियमन से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही की राजस्व शाखा के द्वारा सम्पादित की जाती है। अतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय की छायाप्रति प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या निगरानी/एलआर/640/2012/सिरोही में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2024 की पालना में उक्त निर्णय के पैरा संख्या 6 में किए गए विवेचन/विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी के आवंटन/नियमन प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करावें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर तदनुसार फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर,सिरोही